राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट–I/10 जयपुर, दिनांक : 26 MAR 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चारागाह विकास के संबन्ध में।**
संदर्भः–**माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2011–12 में की गयी घोषणा।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2011–12 के बिन्दु संख्या 107 में घोषणा की गयी है कि **"प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान ग्राम पंचायतों की चारागाह, चरनोट, ओरन आदि भूमि पर अतिक्रमणों की समस्या सामने आई थी। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अतिक्रमण पंचायत राज संस्थाओं को विश्वास में लेकर हटाये जायेंगे। साथ ही अतिक्रमणयुक्त भूमि पर चरागाह विकास हेतु वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं (Water Harvesting Structures) का निर्माण, वृक्षारोपण तथा कच्ची चारदीवारियों के कार्य नरेगा योजनान्तर्गत करवाये जायेंगे, ताकि भूमि की सुरक्षा के साथ–साथ पशुधन के लिए चारा उपलब्ध हो सकें"**। इस संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. राजस्थान पंचायतीराज नियम 1966 के नियम 165 के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा चारागाह, चरनोट, ओरन आदि भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार कार्यवाही करते हुए इन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्पादित की जावें।
2. अतिक्रमण मुक्त भूमि का संबन्धित पंचायतीराज संस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें कि भूमि अतिक्रमण मुक्त की जा चुकी है।
3. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची के बिन्दु संख्या 2 में सूखा रोधी जिसमें वन रोपण एवं वृक्षारोपण हैं, सम्मिलित है। इसके तहत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या 3.1(2) में वर्णित है। इसके अन्तर्गत चारागाह विकास के कार्य भी सम्पादित कराये जा सकते है। अतिक्रमण मुक्त इस चारागाह, चरनोट, ओरन भूमि पर उनकी सुरक्षा हेतु कच्ची चारदीवारी का निर्माण कार्य मय वृक्षारोपण तथा वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं के महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जावें, ताकि

चारागाह भूमी को सुरक्षित रखा जा सकें एवं सूखा रोधी कार्य सम्पादित कराये जा सकें। जल संरक्षण के अन्तर्गत अनुमत कार्यों का विवरण नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या 3.1(1) में वर्णित है।

4. चारागाह, चरनोट, ओरन भूमि जो कि पंचायतीराज संस्थाओं के पास उपलब्ध है एवं जो अतिक्रमण मुक्त है उन पर बिन्दु संख्या 3 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जावें।
5. यदि उक्त कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नही किये गये है तो इन कार्यों को सभी स्तरों से अनुमोदन कराने के उपरान्त पूरक वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जावें।
6. अतिक्रमण से पूर्व, बीच में तथा कार्य समाप्त होने के उपरान्त फोटो आवश्यक रूप से ली जावें तथा इन कार्यों के संबन्ध में सफलता की कहानियों के रूप में संकलन भी कराया जावें।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

भवदीय

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्यक्रम कियान्वयन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी।
5. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस/ग्रामीण विकास/पंचायतीराज।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस